न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 57 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 106

1 श्री राजुलाल धाकड पिता सुखलाल जी जाति धाकड निवासी आक्या तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड –अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 06.10.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा आक्या पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है। जिसके नवीन खाता संख्या 160 आराजी नम्बर 485 / 76 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 487 / 191 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 489 / 196 रकबा 0.1300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7300 तथा खाता संख्या 102 आराजी नम्बर 201 रकबा 0.2400 गे० मु० चाह वाके स्थित है।

2. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके भौजा आक्या पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है। जिसके नवीन खाता संख्या 160 आराजी नम्बर 485 / 76 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 487 / 191 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 489 / 196 रकबा 0.1300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7300 कुल लगानी 20.77 रूपये तथा खाता संख्या 102 आराजी नम्बर 201 रकबा 0.2400 गे० मु० चाह वाके स्थित है। प्रार्थी का नाम संहवन से राजुलाल धाकड़ के स्थान पर राजमल अंकित हो गया, जिसको पुनः शुद्धिकरण किया जाकर प्रार्थी राजमल के स्थान पर राजुलाल धाकड पिता सुखलाल जी जाति धाकड वर्तमान राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में दर्ज कराये ... आदेश तहसीलदार निम्बाहेडा एवं हल्का पटवारी डला उर्फ किशनपुरा को ... की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:43 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड ... सूचना पत्र ... गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि ... ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया नवीन खाता संख्या 160 आराजी नम्बर 485 / 76 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 487 / 191 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 489 / 196 रकबा 0.1300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7300 कुल लगानी 20.77 रूपये तथा खाता संख्या 102 आठ न० 201 रकबा 0.2400 गे० मु० चाह में प्रार्थी का नाम संहवन से राजुलाल धाकड़ के स्थान पर राजमल अंकित हो गया, जिसको पुनः शुद्धिकरण किया जाकर प्रार्थी राजमल के स्थान पर राजुलाल

उपखण्ड अधिकारी

धाकड पिता सुखलाल जी जाति धाकड वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर किया जाने की अनुशंषा की।

4. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद जो विरासत से इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 05.11.2022 में सम्वत् 2077–80 ग्राम आक्या पटवार हल्या डला उर्फ किशनपुरा की खसरा संख्या आराजी नम्बर 485/76 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 487/191 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 489/196 रकबा 0.1300 हेक्टेयर , आराजी नम्बर 201 रकबा 0.2400 गे० मु० चाह के जरिये राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम दर्ज रेकार्ड हुआ, उसमें वर्तमान जमाबन्दी में सहवन से जो अशुद्धि अंकित हो गई है। उसको प्रार्थी राजमल के स्थान पर राजुलाल धाकड पिता सुखलाल जी जाति धाकड पुनः सही दुरूस्त कराना चाहता है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:43 IST
Reason: SelfAttested

7. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा संव[illegible] की खसरा संख्या आराजी नम्बर 485/76 रकबा 0.43[illegible] 487/191 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 489/[illegible] 0.1300 [illegible] ,आराजी नम्बर 201 रकबा 0.2400 गे० मु० पर दर्ज खा[illegible] प्रार्थी का नाम राजमल अंकित कर दिया ,जबकि प्रार्थी का नाम [illegible]कड जो वर्तमान तक चला आ रहा है जो प्राथीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज सरपंच ,ग्राम पंचायत डला उर्फ किशनपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र ,आठवीं कक्षा की अंक तालिका, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादी की स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रतियाँ साथ प्रार्थी राजमल के बजाए राजुलाल धाकड पिता सुखलाल जी जाति धाकड होना प्रमाणित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

आदेश

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि संवत् 2077–80 मौजा आक्या पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 160 आराजी नम्बर 485/76 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 487/191 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 489/196 रकबा 0.1300 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7300 तथा खाता संख्या 102 आराजी नम्बर 201 रकबा 0.2400 गै० मु० चाह में खातेदार राजमल के वजाए राजुलाल धाकड पिता सुखलाल धाकड के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

9. निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

6/10/23
(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:20:43 IST
Reason: SelfAttested